

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-6**  
संख्या : 1151 / 77-6-1999  
लखनऊ : दिनांक मई 22, 1999  
**// अधिसूचना //**

उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति में छविगृहों के निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से कतिपय प्राविधान किये गये हैं। छविगृहों तथा मल्टीम्प्लेक्स को "उद्योग का दर्जा" दिये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस उद्योग को प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को प्रदत्त समस्त सुविधायें अनुमन्य की जाएगी।

भवदीय,

**अजय प्रकाश वर्मा**  
औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.  
एवं प्रमुख सचिव

संख्या-1151(1) / 77-6-1999 तददिनांक 22-5-99 |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उत्तर प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
5. मनारंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. उद्योग विकास के अधीन समस्त निगम एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उद्योग विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

**हरभजन सिंह**  
विशेष सचिव